

राजस्थान सरकार  
पीठासीन प्राधिकारी


## राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।  
पीठासीन प्राधिकारी- नरेन्द्र पाल सिंह रा.प्र.से.

अपील सं. 08/2023

उनवान

1. नौरंगलाल पुत्रगण सुखराम जाति बिश्नोई निवासीगण बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. ईमीलाल पुत्रगण सुखराम जाति बिश्नोई निवासीगण बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
3. मंगलाराम पुत्रगण सुखराम जाति बिश्नोई निवासीगण बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।



4. दिनेश पुत्रगण सुखराम जाति बिश्नोई निवासीगण बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार उपनिवेशन, इ.गा.न.यो गजनेर मुकाम कोलायत।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अंतर्गत धारा 23(i) (उपनिवेशन इ.गा.न.यो. मे स्वीकार कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय ) 1975

उपस्थिति—

प्रार्थी(अपीलान्ट) की ओर से— विद्वान अभिभाषक श्री हरिराम बिश्नोई  
अप्रार्थी(रेस्पोडेन्ट) की ओर से— पैरोकाराज

निर्णय दिनांक :- 13.07.23

### निर्णय

पत्रावली में दिनांक 28.08.2023 को बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अपील अपीलान्ट की ओर से वकील श्री हरिराम बिश्नोई द्वारा अपील अंतर्गत धारा 23(प) (उपनिवेशन इ.गा.न.यो. मे स्वीकार कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय ) 1975 विरुद्ध आदेश दिनांक 15.03.2007 सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा पेश अपील मीमो के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :

1. अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी कोलायत द्वारा राज0 उपनिवेशन क्षेत्र तहसील बज्जू में अस्थाई आवंटन के लिए जब सन् 1982 में आवेदन पत्र मांगे जाने पर अपीलान्टगणों के पिता द्वारा ग्राम बज्जू खालसा में 50.00 बीघा भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र दिनांक 13.07.1982 को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी रिपोर्ट पर दिनांक 13.07.1982 को ग्राम बज्जू खालसा के खसरा नम्बर 428 में 26.10 बीघा व खसरा नम्बर 430 में 22.15 बीघा कुल 48.16 बाराणी भूमि का आवंटन किया गया व पट्टा संख्या 9 जारी किया गया।
2. सन् 1982 से लेकर आज तक उक्त अस्थाई आवंटित भूमि ग्राम बज्जू खालसा के खसरा नम्बर 430 में 22.15 बीघा व खसरा नम्बर 428 में 26.10 बीघा पर लगातार चल


W



उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांतगणों की अपील आंशिक रूप से स्वीकार  
जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) मुकाम कोलायत 15.03.  
2007 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि अपीलांतगणों  
को संपूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए व पात्रता की जांच करते हुए नियमानुसार  
उक्त अस्थाई आवंटन को पुख्ता आवंटन करने की कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.23 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(नरेन्द्र प्राल सिंह)  
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन  
एवं राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर